

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी.भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर

क्रमांक:-प.2(6350)/डीओआईटी/संस्था/2014/08440/2022
कार्यालय आदेश

जयपुर, दिनांक: 14/12/2022

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के निम्नलिखित सूचना सहायको, जिन्होंने दिनांक 01.01.2016 के पश्चात अपने पद पर दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि निरन्तर संतोषजनक पूर्ण कर ली है को वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के नोटिफिकेशन प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अनुसार सूचना सहायक पद की Pay Matrix के अन्तर्गत L-8 लेवल पर वेतन एवं नियमानुसार भत्ते आहरित/वितरित करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रम सं.	फाइल नं.	सूचना सहायक का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	वर्तमान पदस्थापित विभाग	प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	परिवीक्षाधीन अवधि (दो वर्ष) पूर्ण होने की दिनांक	निर्धारित वेतनमान में उक्तानुसार निर्धारित वेतन के आधार पर वेतन आहरण एवं स्थाईकरण किये जाने की दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	W-93	पूजा जैन	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर	13.11.20220	12.11.2022	13.11.2022
2	W-66	प्रीति सिन्धी	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर	23.11.2020	22.11.2022	23.11.2022
3	W-68	पूजा यादव	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर	25.11.2020	24.11.2022	25.11.2022

वित्त (नियम अनुभाग) के नोटिफिकेशन प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में उक्त सूचना सहायको को कॉलम सं. 7 में उल्लेखित दिनांक से पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 17 के अनुसार सूचना सहायक पद का शिड्यूल- I (Part-B) की Pay Matrix के अन्तर्गत L-8 लेवल का न्यूनतम (First cell) की राशि रुपये 26300/- पर नियत किया जाता है तथा उक्त सूचना सहायको के नियमितकरण/स्थाईकरण के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि का इन्द्राज नियमानुसार संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में किया जावे।

पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 13 के अनुसार उक्त सूचना सहायकों की आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक 01.07.2023 होगी।

आज्ञा से,

—sd—

(सुनील छाबड़ा)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, जयपुर।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारी, सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
4. प्रशासनिक अधिकारी, लेखा शाखा, सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर।
5. सम्बंधित सूचना सहायक, सू. प्रौ. एवं संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

विजय

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी